राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

कमांक–प–5 (1)(1) लेखा/ 2014/ 1683 दिनांक: 23/12/15

–: नीलामी सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में अनुपयोगी घोषित भण्डार सामग्री यथा फर्नीचर, टाइपराईटर, डुप्लीकेटिंग मशीन एवं फोटो स्टेट मशीनों की दिनांक 28.01.16 को दोपहर 3.00 बजे नीलामी की जावेगी । इच्छुक व्यक्ति धरोहर राशि रूपये 15000/– जमा करवा कर नीलामी में भाग ले सकता है । नीलामी कलेक्ट्रेट परिसर में गठित कमेटी द्वारा अनुपयोगी सामग्री " जो है जैसा है " के आधार पर की जोवगी । विस्तृत शर्ते एवं अनुपयोगी सामग्री का अवलोकन नीलामी तिथि को या उससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में किया जा सकता है । इसके साथ ही नीलामी की विस्तृत शर्ते राजकीय वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है । राजकीय वेबसाइट पर नीलामी सूचना का प्रकाशन/प्रदर्शन दिनांक 23.12.15 को किया गया है ।

जिला कलक्टर,
बाड़मेर

कमांक–प–5 (1)(1) लेखा/ 2014/ 1684 – 1690 दिनांक: 23/12/15

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राज. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस नीलामी सूचना दिनांक 13.01.16 से पूर्व एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में कम से कम जगह में प्रकाशित करने का कष्ट करावें ।
2. सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. को विभागीय वेब साइट पर अपलोड हेतु एवं DIPR के मेल tender @ rajasthan.gov.in पर भेजने हेतु । acp - sb
3. नोटिस बोर्ड– क्षैत्रिय एवं खण्डीय कार्यालय ।
4. लेखाधिकारी ग्रेड II श्री यश जोरम जिला कार्यालय को राजकीय वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु ।

प्रभारी अधिकारी,
लेखा अनुभाग

TDL/2015

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी कलेक्ट्रेट कार्यालय में गठित समिति द्वारा की जावेगी ।
2. नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कमेटी को होगा ।
3. इच्छुक बोलीदाता नीलामी कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व धरोहर राशि जमा कर भाग ले सकेगा ।
4. नीलामी प्रारम्भ होने के बाद नीलामी कमेटी की पूर्व स्वीकृति के बाद ही धरोहर राशि जमा की जा सकेगी ।
5. नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य का निर्धारण कमेटी द्वारा किया जावेगा ।
6. नीलामी " जो है जैसा है " के आधार पर की जोवगी ।
7. स्वीकृत बोलीदाता को नीलामी की सामग्री नीलामी समाप्ति के तुरन्त पश्चात अथवा आगामी कार्य दिवस तक बोली की सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी ।
8. स्वीकृत नीलामी राशि के अलावा वेट इत्यादि कर अलग से जमा कराने होंगे ।
9. नीलाम की गई सामग्री गठित कमेटी की देखरेख में सुपुर्द की जावेगी ।
10. नीलाम की गई सामग्री के लिये परिवहन /लोडिंग/अनलोडिंग इत्यादि खर्चे स्वीकृत बोलीदाता को वहन करने होंगे ।
11. नीलाम की गई सामग्री की डिलीवरी निलामी तिथि के आगामी तीन दिवस में प्राप्त करनी होगी
12. तीन दिन की अवधि में नीलामी सामग्री की डिलीवरी नहीं लेने पर किराया (डेमरेज)वसूल किया जावेगा । किराये का निर्धारण नीलामी कमेटी द्वारा किया जावेगा ।
13. नीलामी के दौरान धरोहर राशि जमा कराने वाले बोलीदाताओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति अथवा सहयोगी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।
14. नीलामी प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे
15. अनुपयोगी सामग्री यथा टाइपराईटर, डुप्लीकेटिंग मशीन, फोटा कोपियर तथा अनुपयोगी भण्डार सामग्री की नीलामी अलग–अलग की जावेगी ।
16. समस्त विवादों का न्याय क्षैत्र बाड़मेर होगा ।

जिला कलक्टर,
बाड़मेर

TDL/2015